न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

मि0 न0 12/2023 (जी.सी.एम.एस. 2023/00031) पीठासीन अधिकारीः– डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

लोकेश पुत्र पदम सिंह जाति जाट नि0 ग्राम शीशवाडा तहसील जनूथर जिला डीग

–सायल

बनाम

राजेश पुत्र पदम सिंह जाति जाट नि0 ग्राम शीशवाडा तहसील जनूथर जिला डीग

–गैर सायल

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,

दिनांकः 12.08.2024

निर्णय

सायल द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1055/0.19, 1181/0.20, 1183/0.32, तथा आराजी खसरा नम्बर 485/1.33 हैक्टेयर वाके ग्राम शीशवाडा तहसील जनूथर में स्थित है। आराजी खसरा नम्बरान 1155, 1181, 1183 में सायल व प्रति0 संख्या 01 लगायत 03 का हिस्सा 1/4–1/4 है व प्रति0 संख्या 4 व 5 का हिस्सा 1/3–1/3 है, एवं खसरा नम्बर 485/1.33 हैक्टेयर में सायल व प्रति0 संख्या 01 लगायत 03 का हिस्सा 1/225–1/225 है व प्रति0 संख्या 6 व 7 का हिस्सा 4/75–4/75 है व प्रति0 संख्या 08 लगायत 12 का हिस्सा 59/1125–59/1125 है व प्रति0 संख्या 13 लगायत 17 का हिस्सा 8083/94500–8083/94500 है व प्रति0 संख्या 18 लगायत 20 का हिस्सा 2537/22050–2537/22050 है व प्रति0 संख्या 21 लगायत 22 का हिस्सा 04/225–4/225 है व प्रति0 संख्या 23 का हिस्सा 4/75 है और सायल व प्रति0 मुताविक हिस्सा जमाबन्दी अपने अपने हिस्सा पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार चल रहे है। सायल व गैर सायल में आराजी में सहखातेदारों के बीच मनबट के आधार पर अब काश्त करने में बहुत परेशानी आ रही है और आये दिन झगडे हो रहे है। गैर सायल/प्रति0 ने वटवारा करने से स्पष्ट मना कर दिया गया है तथा

Ravi

उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

सालय को धमकी देते रहते है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किया जाकर वर्णित आराजीयात में मजाहमत मदाखलत नहीं करने हेतु गैर सायल को ता फैसला दावा पावंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल बाबजूद सूचना/तामील के उपस्थित अदालत नहीं होने से गैर सायल के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वकील वादी/सायल की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायल ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायल/प्रति0को ता फैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर प्रति0/सायल के बावजूद सूचना व तामील के उपस्थित अदालत नहीं होने से वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील वादी की बहस पर मनन किया।

प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः– विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1055/0.19, 1181/0.20, 1183/0.32, तथा आराजी खसरा नम्बर 485/1.33 हैक्टेयर वाके ग्राम शीशवाडा तहसील जनूथर में स्थित है। वर्णित आराजी को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद कायम है। गैर सायल द्वारा पूर्व में कई वार सायल को बंटवारा नहीं किये जाने तथा आराजी को रहन वय मुन्तकिल किये जाने की धमकी दी गई है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सायलान के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

सुविधा का संतुलनः– विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1055/0.19, 1181/0.20, 1183/0.32, तथा आराजी खसरा नम्बर 485/1.33 हैक्टेयर वाके ग्राम शीशवाडा तहसील जनूथर में स्थित है। वर्णित आराजी को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद कायम है। गैर सायल द्वारा पूर्व में कई वार सायल को बंटवारा नहीं किये जाने तथा आराजी को रहन वय मुन्तकिल किये जाने की धमकी दी गई। ऐसी

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डींग) राज.

स्थिति में सुविधा का संतुलन गैर सायल के पक्ष में न होकर सायल के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

अपूर्तिनीय क्षतिः– विवादित वर्णित आराजी को गैर सायल/प्रति0 के द्वारा रहन वय मुन्तकिल किया जाता है तो सायल को अपूर्तिनीय क्षति होना संभव है। ऐसी स्थिति में प्राइमा फेसी केस व बैलेंस ऑफ कन्वीनियन्स एवं अपूर्तिनीय क्षति सायलान के पक्ष में बखूवी प्रतीत होती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, के तथ्य व परिस्थिति की दृष्टि से वकील सायलान के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन व उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। समस्त विवेचना अनुसार हम सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट, को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, आर.टी.एक्ट के अन्तिम निस्तारण होने तक विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1055/0.19, 1181/0.20, 1183/0.32, तथा आराजी खसरा नम्बर 485/1.33 हैक्टेयर वाके ग्राम शीशवाडा तहसील जनूथर में स्थित आराजीयात में मजाहमत मदाखलत नहीं करने तथा रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु गैर सायल को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी ★ डीग जिला डीग (राज.) ★

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.